कौटिल्य की भ्रष्टाचार के प्रति अवधारणा

सोनिया वर्मा
पीएच0डी0 शोध छात्रा, राजनीतिविज्ञान विभाग,
ईस्माइल नेशनल महिला पी0जी0 कॉलिज, मेरठ

सारांश

भारतीय राजनीति में सत्तामुख के मोह ने एक तरह की धारणा विकसित की है कि आप कमाओं और हमारा हिस्सा दे जाओ। इससे राजनीतिक दलाली को बढ़ावा मिला है। हाल के अनावरण घोटालों ने भ्रष्टाचार की विद्रूपता को प्रस्तुत कर करोड़पति फकीरों की संख्या बढ़ायी है। आज इसका विस्तार देश के कोने–कोने तक फैल चुका है। प्राचीन भारत के विचारक कौटिल्य ने भ्रष्टाचार के जिन रूपों का वर्णन अपने ग्रन्थ अर्थशास्त्र में किया था वह आज भी विद्यमान है। इतने लम्बे समय के बाद आज भी मनुष्य की प्रवृत्ति में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता है। चालीस प्रकार के भ्रष्टाचार पहले भी थे और आज भी विद्यमान है। जाँच समितियाँ पहले भी बैठती थी और आज भी परन्तु भ्रष्टाचार का समूल विनाश न पहले हो पाया और न आज हो पा रहा है इसका मुख्य कारण राजनीतिक सत्ता का निजी स्वार्थ है।

मूल शब्द : *भ्रष्टाचार, राजनीतिक सत्ता, कौटिल्य अर्थशास्त्र, अनावरण घोटाले*

Reference to this paper should be made as follows:

सोनिया वर्मा,

कौटिल्य की भ्रष्टाचार के प्रति अवधारणा

RJPP 2018,Vol. 16, No. 2, pp. 8-15
Article No. 2

Online available at *: http://anubooks.com/?page_id=2004*

भारतीय राजनीति में, लक्ष्यहीनसंसदवाद और सत्ता सुख के मोह ने एक तरह की सहजीविता विकसित की है कि आप कमाओं और हमारा हिस्सा दे जाओं। इससे राजनीति दलाली बन गयी है और संदिग्ध सम्पत्ति का असन्दिग्ध भण्डार एक प्रवृत्ति विकसित हो गई है। हाल के घोटाले के अनावरण समाहरों ने भ्रष्टाचार की विद्रूपता को प्रस्तुत करके करोड़पति फकीरों की गिनती बढायी है। मगर हम हैं कि अब भी इस गलत फहमी में है कि घोटाले केवल उतने ही हैं कि जितने प्रकाश में आये है। आज इस नासूर का विस्तार देश के पोर पोर तक हो गया है। भ्रष्टाचार सर्वव्यापी और सर्वग्राही बन गया है। प्राचीन भारत के विचारक और प्रशासनिक संगठन के गुरू कौटिल्य ने भ्रष्टाचार के जिन रूपों कावर्णन अपने ग्रन्थ अर्थशास्त्र में किया था वह सभी आज भी विद्यमान हैं। समय के इतने लम्बे अन्तराल के बाद भी मनुष्य की प्रवृत्ति में तनिक भी फर्क नहीं हैं। चालीस प्रकार के भ्रष्टाचार कौटिल्य के काल में भी थे और आज भी विद्यमान हैं। जाँच समितियाँ पहले भी बनती थी और आज भी संसद हर घोटाले पर जाँच समिति बैठाती है। परन्तु भ्रष्टाचार का समूल निवारण न पहले हो पाया था और न आज भी हो पा रहा है कारण है कि राजनीतिक व सामाजिक दृद्ध इच्छा का अभाव व सत्ता का निजी स्वार्थ। परन्तु प्रयास करना किसी भी समस्या को हल करने का पहला उपाय हैं। अतः प्रस्तुत शोध पत्र एक प्रयास है इतिहास के झरोखों से प्राचीन व अर्वाचीन भारत की सनातनी समस्या भ्रष्टाचार के कारण और निवारण को समझने की।

कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भ्रष्टाचार की अवधारणा

कौटिल्य ने मुख्यतः प्रशासन में भ्रष्टाचार पर ध्यान केन्द्रित किया क्योंकि उनका मानना था कि यदि प्रशासनिक अधिकारी भ्रष्ट हो तो राज्य भ्रष्टाचार से नही बच सकता। कौटिल्य के द्वारा राज्य के अमात्यों की नियुक्ति अत्यन्त सर्तकता से की गयी थी और अनेक परीक्षणों के पश्चात् उन्हें उचित पद पर नियुक्त किया जाता था लेकिन उसके पश्चात भी कुछ अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्ट हो सकते थे इसलिये कर्मचारियों के विषय में कहा गया है कि ''जिस प्रकार जीभ पर रखें हुए शब्द, शहद या जहर के सम्बन्ध में कोई यह चाहे कि मैं उसका स्वाद नहीं लूं, तो यह सम्भव नहीं हो सकता क्योकि जीभ पर रखी हुई चीज की इच्छा न होने पर भी उसका स्वाद आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो व्यक्ति अर्थ सम्बन्धी कार्यो पर नियुक्त किये जाते हैं। उस अर्थ का वह थोड़ा सा भी स्वाद न ले यह सम्भव ही नहीं हो सकता है। वह थोड़ा बहुत धन का अपहरण अवश्य ही किया करते है क्योंकि यह बात पूर्ण रूप से सत्य ही हैं कि जिन कर्मचारियों की अर्थाधिकार के कार्यों पर नियुक्त किया जाता है उनमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भ्रष्टाचार अवश्य ही उत्पन्न हो जाता है इसके विषय में यह कहा गया है उसी प्रकार से पानी में रहती हुई मछलियां पानी पीती हुई दिखाई नहीं देती है उसी प्रकार अर्थ कार्यों पर नियुक्त कर्मचारी अर्थ का अपहरण करते हुए प्रतीत नहीं होतें और इसी प्रकार आकाश में उड़ने वालें पक्षियों की गतिविधि को तो जाना जा सकता है किन्तु गुप्त रूप से धन का अपहरण करने वाले कर्मचारियों की गतिविधियों का ज्ञान प्राप्त करना अत्यन्त कठिन कार्य है। इससे प्रशासन में हो रहे भ्रष्टाचार की प्रकृति के बारें मे ज्ञान प्राप्त होता था कि कर्मचारी किस प्रकार पद पर होते हुए भ्रष्टाचार

में लिप्त रहतें हैं और यह भ्रष्टाचार किसी के संज्ञान में भी नहीं आ पाता था। कर्मचारियों के द्वारा धन का अपहरण किस प्रकार से किया जा सकता है इस विषय में कौटिल्य ने मुख्यतः चालीस प्रकार से अध्यक्ष अथवा प्रशासनिक अधिकारी द्वारा राजद्रव्य के अपहरण पर प्रकाश डाला है।

भ्रष्टाचार के प्रकार–

1. प्रथम फसल से प्राप्त होने वाले द्रव्य को दूसरी फसल के आने पर पुस्तक में चढ़ाना।
2. दूसरी फसल से प्राप्त होने वाले द्रव्य को कुछ प्राप्ति को पहले से ही किताब में लिख देना जिससे राजा, इसे अपना विश्वासपात्र मान ले ओंर इस प्रकार के कार्यों से वह राजा को धोखा दे सकें।
3. कर्मचारी के द्वारा राजग्राह्य कर को रिश्वत लेकर छोड़ देना अर्थात उससे कर वसूली नही करना।
4. कर्मचारी के द्वारा उन व्यक्तियों से भी कर वसूल करना जिसका कर राज्य के द्वारा माफ कर दिया गया है इनमें देवालय तथा ब्रह्मण व्यक्ति आदि आते थे जिनका कर राज्य के द्वारा माफ कर दिया जाता था लेकिन उसके पश्चात भी कर्मचारी उन्हें भय दिखा कर वसूल करते थे।
5. कर्मचारी के द्वारा उस कर का उल्लेख नही किया जाना जो कर व्यक्ति के द्वारा दे दिया गया है और रजिस्टर में यह लिख दिया जाना कि इस व्यक्ति द्वारा कर अदा नही किया गया है।
6. कर दिये जाने वाले व्यक्ति के कर न दिये जाने पर भी कर्मचारी द्वारा यह लिख दिया जाये कि उस व्यक्ति ने कर दिया है और अधिकारी के द्वारा इसके लिए व्यक्ति से रिश्वत ले ली गयी है।
7. यदि किसी कर्मचारी को थोड़ा सा ही धन प्राप्त हो लेकिन रिश्वत के द्वारा वह अपने किताब में लिख दे कि पूरा धन प्राप्त हो गया है।
8. कर्मचारी के द्वारा पूरे धन को प्राप्त कर लेने के पश्चात् भी किताब में यह लिख दिया जाना कि थोड़ा सा धन प्राप्त हुआ है।
9. किसी द्रव्य के प्राप्त होने पर कर्मचारी के द्वारा किसी दूसरे द्रव्य का उल्लेख कर दिया जाये जैसे गेहूं के स्थान पर लिख दिया जाए कि जौं प्राप्त हुई है।
10. कर्मचारी के द्वारा रिश्वत लेकर व्यक्तियों के नामों में परिवर्तन कर दिया जाए और एक के स्थान पर दूसरे व्यक्ति का नाम लिख दिया जाए और जिस व्यक्ति से धन प्राप्त हो उसके स्थान पर दूसरे का नाम चढ़ा दिया जाए।
11. यदि राजा के द्वारा किसी वस्तु को किसी को देने के लिए कहा गया है उसे वह वस्तु नहीं देना।
12. किसी व्यक्ति को वह वस्तु प्रदान कर देना जो देने के योग्य नहीं हो अर्थात किसी वस्तु को अदेय होने पर भी प्रदान कर देना।

13. राजा के द्वारा यदि किसी वस्तु को देने की आज्ञा प्रदान की गयी है तो उस वस्तु को कर्मचारी के द्वारा उस व्यक्ति को समय पर प्रदान नही किया जाना।
14. व्यक्ति को समय पर वस्तुऐं प्रदान नही करना लेकिन इसके पश्चात रिश्वत लेकर यह oLrq¡i znku djukA
15. रिश्वत लेकर वस्तुऐं प्रदान करने पर भी जितनी वस्तु दी गयी है उससे कम देकर बहुत का ही उल्लेख करना जैसे राजा के द्वारा किसी को सौ मुद्रा देने के लिए कहा गया लेकिन कर्मचारी के द्वारा सौ की जगह डेढ़ सौ लिख दिया जाना और व्यक्ति को सौ मुद्रा प्रदान करके पचास मुद्रा अपने पास रख लिया जाना।
16. यदि राजा ने किसी को सौ मुद्रा देने के लिए कहा है उसके स्थान पर उसे अस्सी ही देना और किताब में सौ ही लिखना।
17. कर्मचारी के द्वारा वस्तुओं में परिवर्तन किया जाना यदि किसी को सोना देने की आज्ञा दी गयी है उसके स्थान पर व्यक्ति को चांदी ही प्रदान करना।
18. यदि किसी व्यक्ति को कुछ वस्तु देने का आदेश दिया गया है लेकिन वह वस्तु उस व्यक्ति को न दी जाए वरन उसके स्थान पर किसी और को प्रदान की जाए।
19. किसी प्रकार के धन वसूल करके भी उसे अपने अधिकार में करके उससे इन्कार कर दिया जाऐ अर्थात किसी आवश्यकता का बहाना करके प्रजा से धन वसूल किया जाए लेकिन वह धन कोश में जमा नहीं किया जाए।
20. कर्मचारी के द्वारा कर न लिया जाये और ना ही कोष में जमा किया जाये, लेकिन रिश्वत लेकर पुस्तक में लिख दिया जाना कि कर जमा हो गया है।
21. वस्त्र या अन्य द्रव्य व्यापारियों से उधार ले लेना और बाद में थोड़ा पैसा काटकर उसका भुगतान कर देना।
22. किसी माल का बहुत सा मूल्य देना और माल का मूल्य दे कर भी उसे पुस्तक में नहीं लिखना।
23. बहुत से व्यक्तियों में सामूहिक रूप से लिया जाने वाला धन पष्थक–पष्थक व्यक्तियों से वसूल किया जाना।
24. पृथक–पृथक व्यक्तियों से लिया जाने वाला धन सामूहिक रूप से ले लिया जाना।
25. बहुमूल्य माल को अपमूल्य के माल से परिवर्तन कर दिया जाना।
26. अवमूल्य की वस्तु को बहूमूल्य के साथ बदल देना।
27. बिना कारण के बाजार में वस्तुओं का भाव बढ़ा देना।
28. बिना किसी कारण के वस्तुओं के भाव को घटा देना इस प्रकार कर कार्य पण्याध्यक्ष के द्वारा किया जाना।
29. वेतन के दिनों को बढ़ाकर लिख दिया जाना अर्थात यह लिख देना कि व्यक्ति ने सात दिन कार्य किया है जबकि वास्तव में पांच दिन ही कार्य किया जाना।

30. किसी के वेतन के दिन को घटा देना, अर्थात दो दिन के वेतन की स्वीकषति होने पर व्यक्ति को केवल आठ दिन का ही वेतन प्रदान करना।
31. मलमास जिस वर्ष में नहीं हो उसे मलमास लिखकर कोष में अधिक वेतन निकाल लेना।
32. महीने के दिन घटा–बढ़ा कर उसके लाभ को स्वयं ले लेना।
33. नौकरों की संख्या में गड़बड़ी करना अर्थात बहुत से कार्य करने वाले नौकरों में से दो–एक के नाम वैसे ही लिख देना और उनके वेतन को स्वयं ले लेना।
34. एक आयमुख अर्थात् एक वस्तु से हुई आय को दूसरे की आय में लिख देना।
35. धर्म आदि कार्यों के लिए ब्राह्मणों को जो धन प्रदान किया जाता था उसमें से कुछ धन उन्हें प्रदान करके आधा धन स्वयं ले लेना।
36. कर्मचारियों के द्वारा कुटिल उपाय के अतिरिक्त धन को वसूल करना अर्थात जिस दिन वसूल करने को कहा गया है उस दिन उनसे न लेना और रिश्वत लेकर उन्हें छोड़ देना।
37. जिस धन को बहुत से मनुष्यों को इकठठा किया जाना चाहिए उनमें सें किसी व्यक्ति को रिश्वत लेकर छोड़ देना और अन्य मनुष्यों से पूरा धन वसूल कर लेना।
38. केवल मान्य वर्णों को कर से मुक्त करने का बहाना करके पुस्तक में आय को न लिखना और वह धन स्वयं ले लेना।
39. जिस स्थानों पर राजकीय नियन्त्रण कम होता है वहां पर वस्तुओं के मूल्य को बढ़ा देना।
40. कर्मचारियों के द्वारा तोल के बाटों में गड़बड़ी करना और नाप तोल के साधनों में मनमानी करते हुए नापनें के पात्रों में छोटे बड़ें को हेरफेर करवा देना।

उपयुक्त कार्यों के माध्यम से कर्मचारी राजकोष में हानि कर सकते है क्योंकि राजकोष सम्पूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था का ह्रदय होता है। यदि प्रशासनिक अधिकारी ही भ्रष्टाचार में लिप्त रहतें हैं तो कोष का दुरूपयोग होने लगता है और प्रशासनिक कुशलता में शिथिलता उत्पन्न होने लगती है। इसलिए इन अधिकारियों पर नियन्त्रण रखना आवश्यक होता है कर्मचारियों को भ्रष्टाचार से दूर रखा जाए और इसके लिए कठोर अनुशासन की व्यवस्था की जाए। भ्रष्टाचार के लिए यह सिद्धान्त बताया गया था कि अर्थ ही व्यक्ति के विचारों और क्रिया कलापों को प्रभावित करता है। इसलिए अर्थ की दृष्टि से सुदृढ़ होने के लिए राजकार्य में नियुक्त होने के पश्चात भी व्यक्ति स्वार्थ के वशीभूत होकर राजकोष का दुरूप्रयोग करता है। आर्थिक दृष्टि से कमजोर कर्मचारी समाज में अपना स्थान बनानें के लिए न्यायोचित उपायों का त्याग कर देते हैं और उनके स्थान पर भ्रष्ट तरीकों से धन प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और इसी के द्वारा भ्रष्टाचार में वृद्धि होती है। प्रशासन में होने वाले भ्रष्टाचारों को रोकने के लिए अनेक सुझाव प्रस्तुत किये जिसके द्वारा प्रशासन को भ्रष्ट होने से रोका जा सकता है।

कौटिल्य द्वारा भ्र श्टाचार निवारण हेतु सुझाव–

सर्वप्रथम यह सुझाव दिया गया है कि पदाधिकारियों के लिए सूचनाएं गुप्तचरों के माध यम से प्राप्त की जानी चाहिए क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था में गुप्तचरों का एक विशेष स्थान होता

है इसलिए गुप्तचरों के माध्यम से ही यह जानकारी प्राप्त की जानी चाहिए कि प्रशासनिक नीतियों का जनता पर क्या प्रभाव हो रहा है। गुप्तचरों के माध्यम से ही राजा को उच्च अधिकारियों और समस्त राज्यकर्मचारियों के आचरण की शुद्धता का पता लगाना चाहिए। यदि कोई कर्मचारी विद्रोही प्राकृति का है तो गुप्तचर को इसकी सूचना तत्काल राजा को ही देनी चाहिए और ऐसे षडयंत्रों के बारें में भी बताना चाहिए जो राजा कि विरूद्ध बनायें जातें हैं। इसलिए गुप्तचरों के बारें में कहा गया है कि राज्य के कर्मचारियों और प्रजा की शुद्धता को जानने हेतु गुप्तचरों की नियुक्ति की जानी चाहिए और राजा को धन सम्मान के द्वारा गुप्तचरों को सदा सन्तुष्ट रखने का प्रयास किया जाना चाहिए।

कर्मचारियों के द्वारा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए राजा को जांच समिति की स्थापना करनी चाहिए। यह समिति उस कर्मचारी पर आरोपित भ्रष्टाचार की जांच करें और राज्य के बारे में पता लगायें। राजा के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में सूचना देने वाले व्यक्ति को पुरस्कृत करने की घोषणा करनी चाहिए जिससे व्यक्तियों के प्रोत्साहन में वृद्धि हो सके और वह भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों के सम्बन्ध में अधिक से अधिक सूचनाएं प्रदान करें। कर्मचारियों के लिए यह भी व्यवस्था की जानी चाहिए कि उन्हें एक स्थान पर ही लगातार कार्य करने नहीं देना चाहिए और इसलिए उनका समय समय पर स्थानान्तरण करते रहना चाहिए। जो कर्मचारी भ्रष्ट उपायों से समृद्ध हो उनके विषय में कहा गया है कि यदि राजा के जितनी आय होनी चाहिए उससे कम आय हो रही है तो यह समझना चाहिए कि कोष अध्यक्ष राजा के धन में से अवश्य कुछ ना कुछ लेता है। यदि वह यह कार्य अपने प्रमाद या आलस्य के कारण करता है और आमदनी में कमी करता है तो जितना धन कम होता वह धन अपराध के अनुसार दुगना तथा तिगुना किया जाना चाहिए।

लेकिन जो अध्यक्ष अपनी नियत आय से दोगुना वसूल करता है तो यह समझना चाहिए कि वह प्रजा को पीड़ा पहुँचा कर इतना धन वसूल कर रहा है लेकिन यदि वह अधिक संग्रह किये हुए धन को राजा के पास भेज देता है तो उसे केवल प्रजा को पीड़ा पहुँचाने वाले अपराध के लिए ही दण्ड दिया जाना चाहिए जिससे वह आगे से इस प्रकार से प्रजा को पीड़ा पहुँचाकर धन एकत्रित नहीं करे। लेकिन यदि वह उस धन को राजा के पास न भेज कर स्वयं रख लेता है तो उसे प्रजा को पीड़ित करने तथा धन का अपहरण करके दोनों अपराधों का दण्ड किया जाना चाहिए। इस प्रकार भ्रष्ट उपायों से समृद्ध हुए कर्मचारियों को राजा पद से हटा दे उसकी सम्पत्ति को अपने अधिकार में कर लें। किसी अध्यक्ष के विषय में राजा को धन के अपहरण करने का सन्देह हो जाए तो जो राजा को उसके प्रधान निरीक्षक पुरूष को, भण्डारिक को, कर दिलाने वाले पुरूष को, मंत्री के नौकरों, को पथ्थक–पथ्थक बुलाकर यह जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि इस अध्यक्ष के द्वारा धन का अपहरण किया गया है या नहीं किया गया है। यदि इनमें भी कोई असत्य जानकारी प्रदान करता है तो उस अपराधी को समान दण्ड दिया जाना चाहिए।

इन उपायों के अतिरिक्त यह भी कहा गया है कि भ्रष्ट कर्मचारियों के मुंह पर गोबर लगाकर या राख लगाकर नगर और गांवों में उसके कार्यों की घोषणा करते हुये चारों ओर घुमाया

जाना चाहिए या फिर उसके बालों को कटवाकर उसे पीटते हुये राज्य के बाहर निकलवा देना चाहिए।

इस प्रकार प्रशासनिक पद और शक्तियों के दुरूप्रयोग को रोकने के लिए कर्मचारियों पर नियंत्रण रखने की व्यवस्था की गयी है लेकिन इसके बाद भी प्रशासन में अकार्यकुशल और अयोग्य कर्मचारियों की भर्ती हो सकती है इसकी सम्भावनाओं को देखते यद्यपि उनके आचरण की परीक्षा करने के लिए गुप्तचरों की व्यवस्था की गयी है जिससे राज्य के विरूद्ध उनकी गतिविधियों के विषय में जानकारी प्राप्त होती रहे साथ ही यह व्यवस्था भी उत्तम है कि उच्चतर अधिकारियों को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर नियन्त्रण रखते हुए अनेक संस्थाओं के माध्यम से उनके कार्यों का निरीक्षण करवाते रहना चाहिए जिससे अनुचित कार्यों पर प्रतिबन्ध लग सकें। कर्मचारियों के विषय में यह सुझाव भी दिया गया है कि राजा को स्वयं भी प्रशासन के समस्त विभागों का समय समय पर निरीक्षण करते रहना चाहिए और इस बात का ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहिए कि कर्मचारी अपने दायित्व का निर्वाह उचित प्रकार कर रहें है या नहीं। इसलिए अधिकारी व कर्मचारियों पर नियंत्रण रखने के लिए एक ही पद और एक ही विभाग में किसी अधिकारी या कर्मचारी को दीर्घकाल तक रखने को निषेध किया गया है तथा उनके स्थानान्तरण की नीति को अपनाने की सलाह दी गयी है। इस प्रकार प्रशासनिक अधिकारियों के सम्बन्ध में व्यवहारिक नीति को अपनाते हुए यह कहा गया है कि पद व शक्ति के साथ कर्मचारियों के न्यूनधिक दुरूपयोग की सम्भावना सदैव बनी रहती है इसलिए राजा को चाहिए कि वह छोटे छोटे अपराधों को क्षमा कर दे यदि अपहद राजस्व की मात्रा बहुत कम हो तो उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। किन्तु यदि अधिकारी के भ्रष्टाचार का प्रभाव सम्पूर्ण प्रशासन पर प्रभाव डालता है तो इस प्रकार के भ्रष्ट अधिकारियों को कठोर से कठोर दण्ड देना चाहिए।

इस प्रकार से प्रशासन में भ्रष्टाचार के निवारण हेतु अनेक सुझाव प्रस्तुत किये गये हैं। इन सुझावों के माध्यम से भी प्रशासन में निरन्तर सुधार करने की व्यवस्था की गयी है। अकार्यकुशल एवं भ्रष्ट कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का उल्लेख करके प्रशासन को न्याय पर आधारित किया गया है। अनुशासनात्मक कार्यवाही के अन्तर्गत वेतन में कटौती, पदावनति, अपमान अर्थात मानहानि आदि दण्डों का उल्लेख किया गया है जिसके माध यम से कर्मचारियों को उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया जा सके।

कौटिल्य की भांति अनेक विद्वानों ने भ्रष्टाचार के उपायों का उल्लेख किया गया है मनु की मान्यता हे कि प्रशासनिक शक्ति का दुरूप्रयोग करने वाले अधिकारी व कर्मचारी भ्रष्ट हो जाते हैं। इसलिए राजा का दायित्व है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को प्रजा की रक्षा करें। प्रशासनिक भ्रष्टाचार को अत्यन्त गम्भीर अपराध के रूप में स्वीकार करते हुए मनु ने रिश्वत लेने वाले कर्मचारियों की समस्त सम्पत्ति को छीन कर उन्हें राज्य से बाहर निष्कासित कर देने का दण्ड प्रस्तावित किया है। मनु ने प्रशासनिक भ्रष्टाचार के विषय में बताया है किवह ऐसे अधिकारियों की जानकारी प्राप्त करे जो प्रजा का पक्ष न लेकर अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का पक्ष लेते है। शुक्रनीति के अनुसार यदि सौ प्रजाजन किसी अधिकारी के विरूद्ध आवेदन पत्र देते हैं तो पद

पर अधिक समय तक नही रखना चाहिए। क्योंकि दीर्घकाल तक एक ही अधिकार का प्रयोग करने से अधिकारी सत्ता के मद में पागल हो जाता है।

इस प्रकार कौटिल्य, शुक्र तथा मनु आदि विद्वानों ने कर्मचारियों पर नियन्त्रण की व्यवस्था की है जिससे कार्मिक, जनता के वित्त व राजकीय पदों का दुरूप्रयोग करते हुए शोषण का प्रतीक न बन जाये। कौटिल्य ने अष्टादशतीर्थों एवं उनके अधीनस्थ विभागों की नियुक्ति, पदच्युति, उनके कार्यों का उत्तरदायित्व का जो विवरण प्रस्तुत किया है वह वास्तव में अत्यन्त सुव्यवस्थित हैं और प्रशासनिक सुधारों के बारे में विवेचना करके उसे और अधिक सुदृढ़ बना दिया गया हैं। कौटिल्य के द्वारा प्रस्तुत किये गये सुझाव अत्यन्त व्यावहारिक व अनुपालन योग्य है। वर्तमान परिस्थितियों में भी कौटिल्य के भ्रष्टाचार को दूर करने के उपाय सार्थक प्रतीत होतें हैं क्योंकि प्रशासनिक क्रियायें तभी लोक प्रशासनिक दृष्टिकोण से एक लोककल्याणकारी राज्य के निर्माण में सहयोगी सिद्ध होगी जब वह भ्रष्टाचार शक्ति रहित होगी।

सन्दर्भ

अर्थशास्त्र 2.9.32–34

शास्त्री उदयवीर, *कौटिल्य अर्थशास्त्र भाग 2,* मेहरचन्द लक्ष्मण दास, दरियागंज नई दिल्ली 1969, पृ. स. **37–38** तदैव

तदैव पृ. स. **137–140**

कौटिल्य के प्रशासनिक विचार, डा० देव कान्ता शर्मा, प्रिन्टवैल पब्लिशर्स एवं डिस्टीब्यूटर्स, जयपुर, 1998, पृ. स. **197**

अर्थशास्त्र 2.8.30

कौटिल्य अर्थशास्त्र, इन्द्र एम० ए०, राजपाल एण्ड सन्स, 1990, नई दिल्ली, पृ. स. **33**

कौटिल्य अर्थशास्त्र उदयवीर शास्त्री 2 / 9 / **15–16**

अर्थशास्त्र 2.9 **15–16**

कौटिल्य अर्थशास्त्रम्, वाचस्पति गैरोला, वाराणसी चौखम्बा विद्याभवन, 1997 पृ. स. **141**

कौटिल्या दि अर्थशास्त्रम्, एल. एन, रंगराजन, पेग्विन बुक्स, नई दिल्ली, 1992 पृ. सं. **283**

अर्थशास्त्र 2.9. **17–18**

मनुस्मृति, हरगोविन्द शास्त्री, वाराणसी, चौखम्बा संस्कृत संस्थान, 1992 पृ. सं., **123**

तदैव पृ. सं, **124**

शुक्रनीतिसार, आचार्य मिहिरचन्द्रा भलोक 3 पृ. सं, **116**

तदैव